

Order Sheet [Contd]

Case No 264 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>19.07.2017</p> <p>आवेदक/अभियुक्त सतीश रजक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण आज शीघ्र सुनवाई में लिए जाने बावत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आवेदक/आरोपी सतीश रजक का नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने एवं निराकरण होना है। अतः प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया।</p> <p>विचारोपरांत प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त सतीश रजक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है, इस संबंध में आवेदक के पिता प्रभू के द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि आवेदक के विरुद्ध फरियादी पक्ष ने पुलिस थाना मौ से मिलकर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया है जिससे आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। फरियादिया के धारा 164 दं.प्र.सं के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में भी आवेदक का नाम अपराध कारित करने में नहीं आया है। प्रकरण के सहआरोपी विजयराम को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा दिनांक 17.07.17 को एम.सी.आर.सी. क्रमांक 6208/17 में जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। अतः समानता के आधार पर आवेदक/आरोपी भी जमानत पाने का पात्र है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त की अपराध में सहभागिता नहीं है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर लैंगिक हमला करने का आरोप नहीं है और न ही धारा 164 सी.आर.पी. सी के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में आरोपी का नाम आया है। प्रकरण के सहआरोपी विजयराम को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जाने के आदेश प्रदान किये हैं। अतः समानता के आधार पर आवेदक/अभियुक्त भी जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि फरियादिया सपना ने आरोपी अरुण शर्मा पर मोटरसाइकिल से पहाडिया पर ले जाने और वहाँ पर बुरा काम करने के आरोप लगाए हैं, जबकि सहआरोपी विजय परिहार, सतीश रजक एवं सूरज खटीक पर पहाडिया पर चौकीदारी करने के आरोप लगाए हैं। उक्त तीनों पर ही फरियादिया के साथ लैंगिक हमला कारित करने का आरोप नहीं है। प्रकरण के सहआरोपी विजयराम को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम.सी.आर.सी क्रमांक 6208/17 आदेश दिनांक 17.07.17 के द्वारा नियमित जमानत पर मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किए हैं। आवेदक का मामला जमानत पाए</p>	

सहआरोपी विजयराम से भिन्न नहीं है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं समानता के आधार पर आवेदक/अभियुक्त भी जमानत पर मुक्त होने का पात्र है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40,000/- (चालीस हजार रुपये) रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

शर्त:-

1. आवेदक/आरोपी न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
 2. साक्ष्य को प्रभावित, प्रलोभित या डराएगा, धमकाएगा नहीं।
 3. जिस प्रकार का अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 04.08.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद